बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

सैनिक कल्याण निदेशालय, पटना, बिहार के अन्तर्गत कल्याण व्यवस्थापक एवं निम्नवर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

(सिर्फ पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों के लिए)

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन :– दिनांक–25.04.2025 से 21.05.2025

विज्ञापन संख्या–02/25, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अंतर्गत सैनिक कल्याण निदेशालय के अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में कल्याण व्यवस्थापक एवं निम्नवर्गीय लिपिक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऐसे भूतपर्व सैनिक (थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना), जो सैन्य सेवा से सेवा निवृत्त हों एवं कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन, नई दिल्ली का अधिसूचना दिनांक–04.10.2012 द्वारा भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में आते हैं, से ऑनलाईन आवेदन आयोग के वेबसाईट **https://bssc.bihar.gov.in** पर आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराये गये वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की विवरणी निम्नवत् है :–

पदनाम	वेतनमान	योग्यता
कल्याण व्यवस्थापक	**वेतनमान**– लेवल–03	**1.शैक्षणिक योग्यता**:– प्रवेशिकोत्तीर्ण (इन्टरमीडिएट) 10+2/समकक्ष। **2.वांछनीय योग्यता** :– भूतपूर्व हवलदार से सुबेदार मेजर नौसेना एवं वायु सेना के समकक्ष तक।
निम्नवर्गीय लिपिक	**वेतनमान**– लेवल–02	**1.शैक्षणिक योग्यता**:– कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर पर टंकण के ज्ञान (हिन्दी एवं अंग्रेजी) के साथ इन्टरमीडिएट (+2) या समकक्ष। **2.वांछनीय योग्यता** :– भूतपूर्व हवलदार से सुबेदार मेजर नौसेना एवं वायु सेना के समकक्ष तक।

नोटः–
1. उपर्युक्त पद पर नियुक्ति हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक ही पात्र होंगे।
2. उपर्युक्त पद पर नियुक्ति हेतु Fit Medical Category थल सेना हेतु SHAPE-2, वायु सेना के लिए A4G2 एवं नौसेना के लिए S2A2 कैटेगरी वाले पूर्व सैनिक Civil Employment के लिए Fit माना जाएगा। Medical Category पूर्व सैनिक के Discharge Book (सेवा–पुस्तिका) में दर्ज स्थिति के अनुसार मान्य होगा।
3. अभ्यर्थी उक्त दोनों पदों में से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय योग्यता के आधार पर पद प्राथमिकता देना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता भरने के क्रम में उक्त पदों के लिए वांछित शैक्षणिक एवं वांछनीय योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। पद प्राथमिकता किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

अधियाची विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिक्तियों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	पद का नाम	विभाग का नाम	अनारक्षित	आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या						कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
				अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
			35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
01	कल्याण व्यवस्थापक	सैनिक कल्याण निदेशालय (गृह विभाग)	10	04	00	05	02	01	03	25	01	OH-1
			04	01	00	02	00	–	01	08		
02	निम्नवर्गीय लिपिक	सैनिक कल्याण निदेशालय (गृह विभाग)	13	05	00	05	04	01	03	31	01	OH-1
			05	02	00	02	01	–	01	11		

नोट– उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है, जो घट–बढ़ सकती है।

1. उम्र सीमा :–

अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक–01.08.2024 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र कल्याण व्यवस्थापक संवर्ग नियमावली–2024 एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय लिपिकीय सवंर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली के आलोक में उपर्युक्त पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्रसीमा 57 वर्ष होगी।

आयोग द्वारा Matriculation/ भूतपूर्व सैनिक के Discharge Book (सेवा–पुस्तिका)/पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर/Ex-Serviceman Identity Card में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

2. परीक्षा की प्रकृतिः– **वस्तुनिष्ठ**

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली–2010 के आलोक में 40 (चालीस हजार) से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुये तैयार की जाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 05 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

सैनिक कल्याण निदेशालय, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के पत्रांक–365, दिनांक–20.02.2025 के आलोक में प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 50. होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 04 अंक दिये जायेंगे एवं गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जायेंगे। परीक्षा की अवधि 01 घंटा की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम :–

प्रारंभिक परीक्षाः प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा, जो दो भागों में विमक्त होगा। भाग–1 से 25 प्रश्न एवं भाग–2 से 25 प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

भाग–1

(क) सामान्य ज्ञान	– 05 प्रश्न।
(ख) सामान्य विज्ञान	– 05 प्रश्न।
(ग) गणित	– 10 प्रश्न।
(घ) कम्प्यूटर	– 05 प्रश्न।

भाग–2

(क) अंग्रेजी	– 25 प्रश्न।

सिलेबसः– प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से हैः–

भाग–1

खंड (क) सामान्य ज्ञान :– संभवतः भारतीय सेना लिपिक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी परीक्षा का एक ऐसा अनुभाग है, जिसमें अध्ययन का सबसे विशाल क्षेत्र है। भारतीय सेना लिपिक के लिए भारत के साथ–साथ इसके पड़ोसी देशों के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और अन्य पहलुओं से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। प्रश्न संक्षिप्त रूप, खेल, पुरस्कार, शब्दावली, किताबें और लेखक और समसामयिक मामलों से आते हैं। सशस्त्र बलों, महाद्वीपों और उपमहाद्वीपों, आविष्कारों और खोजों से संबंधित जीके समान रूप से महत्व रखता है।

खंड (ख) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित विषय शामिल होते हैं। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित प्रश्न, यानी जीवित और निर्जीव के बीच अंतर और जीवन–कोशिकाओं, प्रोटोप्लाज्म और ऊतकों आदि की मूल बातें। हमारा भारतीय सेना निम्नवर्गीय लिपिक लिखित परीक्षा, विकास, प्रजनन और मानव शरीर के बुनियादी ज्ञान को शामिल करता है। हालाँकि, अन्य शाखाओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

खंड (ग) गणित:– गणित, अंकगणित और संख्यात्मक योग्यता से प्रत्येक प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। मूल रूप से प्रश्न संख्या प्रणाली, एचसीएफ, एलसीएम, दशमलव अंश, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, ब्याज, छूट, लाभ और हानि, औसत, समय और दूरी, समय और कार्य, वर्गमूल, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वृत्त आदि।

खंड (घ) कंप्यूटर:– कम्प्यूटर का बुनियादी ज्ञान, इंगलिश/हिन्दी टंकण, माईक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन्टरनेट एवं संवाद एवं भेजना एवं प्राप्त करना प्रत्येक प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं।

भाग–2

खंड (क) अंग्रेजी :– इसमें परीक्षण का मानक मैट्रिक स्तर के बराबर रहता है। इसमें प्रश्न समझ, भाषण के अंश, क्रिया, मॉडल, आवाज, काल, कथन, शब्दावली, वाक्यों की संरचना एवं प्रकार, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, एक शब्द प्रतिस्थापन, मुहावरे और वाक्यांश आदि से शामिल किये जाते हैं।

व्यवहारिक जाँच परीक्षा (निम्नवर्गीय लिपिक पद के लिए)

लिखित परीक्षा के पश्चात् निम्नवर्गीय लिपिक पद के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में 25 (पच्चीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5 (डेढ़) प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा।

नोट:– लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक जाँच परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यवहारिक जाँच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

3. क्वालीफाइंग मार्क्सः–

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् हैः–

कोटि	न्यूनतम अर्हतांक
अनारक्षित वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
अ0पि0वर्ग	34 प्रतिशत
अनु0 जाति/जनजाति	32 प्रतिशत
महिला वर्ग	32 प्रतिशत
दिव्यांग (सभी वर्ग)	32 प्रतिशत

4. परीक्षा शुल्क :–

कोटि	परीक्षा शुल्क
सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी	540 रूपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार के स्थायी निवासी के लिए)	135 रूपये
सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए (अनु0 जाति/जनजाति के समान)	135 रूपये
सभी श्रेणी की महिलायें (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)	135 रूपये
बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों (पुरूष/महिला) हेतु	540 रूपये

परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन (Credit Card/Debit Card/UPI/Net Banking आदि के माध्यम से) जमा किया जाएगा।

ऑनलाईन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से **दिनांक–25.04.2025 से 21.05.2025** तक जमा किया जा सकेगा।

मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह अहस्तांतरणीय होगा।

5. <u>आरक्षण:–</u>

(i) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

(iv) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:–

(a) जाति प्रमाण–पत्र।

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र।

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(C) **<u>आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।</u>**

(D) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। <u>किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।</u>

यदि उम्मीदवार प्रमाण–पत्र संवीक्षा के दौरान संगत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो <u>उन्हें अनारक्षित कोटि में मान्य कर दिया जायेगा। तदनुसार आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं (यथा–प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा) का परीक्षाफल की संवीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।</u>

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with Benchmark Disability) को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण–पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण–पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण–पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणं–पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–10668, दिनांक–29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा– 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD)

(40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को **श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कंडिका में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में YES करना अनिवार्य होगा।**

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–11687, दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है)।**

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 एवं पत्रांक–12123, दिनांक–23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। **विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।**

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय किये गये दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण–पत्र यथा Matriculation प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री/औपबंधिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate), अनुसूचित जाति/जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण–पत्र, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण–पत्र, अनापत्ति प्रमाण–पत्र इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा के समय ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण–पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण–पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

सभी वांछित प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

6. महत्वपूर्ण निर्देश:–

I. किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जाएगा, जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र (Admit Card) निर्गत किया जाएगा।

II. **किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।**

III. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे।

IV. इंटरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतेजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। साथ ही, गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

V. अभ्यर्थी आवेदन–पत्र को **Submit** करने के पूर्व **Preview** देखकर संतुष्ट हो लेंगे एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो **Edit option** का उपयोग कर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन–पत्र को **Submit** करेंगे।

VI. **एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्त्व रद्द कर दिया जाएगा।**

VII. वैध एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि भविष्य में संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाईल नम्बर और/या ई–मेल आई0डी0 दर्ज करते हैं, तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे, जिसके लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

VIII. **अभ्यर्थी अपना Application Form Number/Registration Number/Roll Number को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (फोटो सहित) की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डूप्लीकेट/द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नम्बर/एप्लिकेशन फार्म नम्बर/प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किये जायेंगे।**

IX. **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–9667, दिनांक–20.06.2024 के आलोक में लिखित परीक्षा Online (Computer Based Test)/Offline Mode में आयोजित की जा सकती है।**

X. विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा पररुपधारण (**Impersonation**) करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतएव अभ्यर्थियों का परीक्षा के दौरान **Biometric Thumb Impression/Iris Capture** लिया जा सकता है, ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के **Biometric Thumb Impression/Iris Capture** का मिलान किया जा सके। **Biometric Thumb Impression/Iris Capture** मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध आयोग द्वारा विधि–सम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

XI. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो।

XII. जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है, वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जायेगा।

नोटः–उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन/निर्धारण, परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पदों/संवर्ग के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी/मान्य होगा तथा इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देशः–

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	**25.04.2025**
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	**23.05.2025**

I. ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता/आरक्षण/कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र यथा–

a) मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र।

b) प्रवेशिकोत्तीर्ण (इन्टरमीडिएट) 10+2/समकक्ष से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र।

c) स्थायी निवास/आवासीय प्रमाण–पत्र।

d) जाति प्रमाण–पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र।

e) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण–पत्र।

f) दिव्यांगता संबंधी प्रमाण–पत्र।

II. ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निदेश आयोग के वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

III. ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

IV. अभ्यर्थी के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण–पत्र/अंक– पत्र के अनुसार होना चाहिए।

V. सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि (Category) की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरान्त ही भरें।

VI. बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी, जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है, द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करेंगे, जिसके अनुसार उन्हें श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जाएगा।

VII. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) Live Photo Webcam के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

VIII. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों/वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।

IX. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है।

X. अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल में प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र मूल में प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

XI. **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र मूल रुप में उपलब्ध है।**

09. घोषणाः–

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली–भाँति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिये गये विवरण की पुष्टिकरण माँगेगा, मैं निदेशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डूप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

10. अंतिम तिथिः–

ऑनलाईन आवेदन **दिनांक–25.04.2025 से 23.05.2025** की रात्रि 11:59 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाईट **https://bssc.bihar.gov.in** पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्कता नहीं है।

11.04.2025

सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।